संख्या-81/2024/978/22-2-2024-17(261)/2024

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2024

विषय:-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कुलदीप पुत्र श्री छोटे यादव, निवासी जनपद-कानपुर नगर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-18927/प्रो0अनु0(2)-(बैठक दिनांक 28.06.2024), दिनांक 28.06.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कुलदीप पुत्र श्री छोटे यादव, रासूपुर, थाना-ऑग, जनपद-फतेहपुर, हालपता-133 राजीव बिहार, थाना-बिधनू , जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। दिनांक 17.08.2009 को फिरौती के कारण बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिवम बाजपेयी नामक नाबालिग लड़के का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-239/2010 में भा0द0सं0 की धारा-364ए/149, 302/149, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष-09, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.06.2024 तक 14 वर्ष 10 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 16 वर्ष 02 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 27.06.2024 तक 37 वर्ष है।

पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर द्वारा बंदी को कारागार से रिहा किये जाने पर पुनः अपराध का अवसर होने, बंदी को आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने, दोनों पक्षों के मध्य तनाव व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर द्वारा बंदी को कारागार से रिहा किये जाने पर पुनः अपराध का अवसर होने, बंदी को आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 16.09.2023 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति का अभिमत है कि दिनांक 17.08.2009 को फिरौती के कारण बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर शिवम बाजपेयी नामक नाबालिग लड़के का अपहरण कर गला दबाकर हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। बंदी की समयपूर्व रिहाई से दोनों पक्षों के मध्य तनाव व्याप्त होने की संभावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कुलदीप पुत्र श्री छोटे यादव को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कुलदीप (बन्दी संख्या-28807) पुत्र श्री छोटे यादव, निवासी जनपद-कानपुर नगर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-81/2024/978(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-129/2024 कुलदीप बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।